महत्वपूर्ण एवं खास

मुंहबोले भाइयों के साथ पिकनिक स्पॉट गई युवती हुई दरिंदगी का शिकार, पुलिस ने घंटेभर के भीतर किया आरोपियों को गिरफ्तार

बलरामपुर (आरएनएस)। मुंहबोले भाइयों और बहन के साथ पिकनिक स्पॉट घूमने गई युवती के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म किया. इतने पर भी मन नहीं भरा तो युवती को उसके भाई के साथ घर में बंधक बना लिया. किसी तरह भागने में कामयाब रहे भाई ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घंटेभर के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना वाड्रफ नगर के खरहरा पिकनिक स्पॉट की है. जानकारी के अनुसार, पिकनिक मनाने पहुंचे युवक-युवतियों के साथ पहले तो आरोपियों ने मारपीट की. इसके बाद एक जोड़े के भागने पर दूसरे जोड़े को घर में बंधक बनाकर रखा. इसके पहले आरोपी कुछ और घटना को अंजाम देते युवक मौके से भागने में कामयाब रहा, और पुलिस को सूचना दी. वाड्रफनगर पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुये तत्काल आरोपियों को पकड़ा. घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी सुनील है, जिसकी क्रिस्टोफर और राजपाल ने मदद की. फिलहाल, पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने कई सवालों को जन्म दिया है, जिसका जवाब मिलना बाकी है. मामले में पुलिस चौकी प्रभारी धीरेन्द्र तिवारी ने बताया कि घटना में युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया जिसके बाद आरोपी सुनील व उसके दो अन्य सहयोगी साथी अगवा करके अपने घर ले आए थे. किसी प्रकार मुंहबोला भाई वहां से बचकर निकला, और पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस नेएक घंटे के भीतर आरोपियों को पकडक़र आगे की कार्रवाई कर रही है.

शहर के दो अलग सूने मकान से नकदी सहित जेवर पार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्र से अज्ञात चोर ने दो सूने मकानों का ताला तोडक़र नकदी सहित लाखों रुपए का जेवर पार कर दिया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले में ग्राम मोहंदा निवासी संतोष कुमार सोनी 44 वर्ष ने धरसींवा थाना में शिकायत किया कि अज्ञात चोर ने उसके सूने मकान का ताला तोडक़र आलमारी में रखे नकदी 70 हजार सहित सोने-चांदी का जेवर पार कर दिया। चोरी गए जुमला कीमती करीब 90 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं दूसरे मामले में सत्यम विहार कालोनी रायपुरा निवासी दुर्गा चंद्राकर 40 वर्ष ने डीडीनगर थाना में शिकायत किया कि अज्ञात चोर ने उसके सूने मकान का ताला तोडक़र आलमारी में रखे नकदी 3 हजार सहित सोने-चांदी का जेवर पार कर दिया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

माल कम निकलने पर ट्रेलर चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। नाकोड़ा इस्पात कंपनी सिलतरा से मिट्रिक टन लोहा लोड कर रवाना किया था, जिससे कम लोहा पाए जाने पर धरसींवा ट्रेलर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी विरेन्द्र कुमार साहू 34 वर्ष बीरगांव उरला का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी ट्रेलर क्रमांक सीजी 04 जेसी 2813 के चालक राजेन्द्र सिंह ने नाकोड़ा इस्पात कंपनी सिलतरा से टीएमटी बार लेकर मस्तुरी झांझरिया निर्माण लिमिटेड पहुंचा था। जहां माल खाली करते समय 7620 मिट्रीक टन लोहा कम पाया गया। प्रार्थी की शिकायत पर धरसींवा पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

जशपुरनगर : व्यवहार न्यायालय बगीचा में राष्ट्रीय लोक अदालत सम्पन्न, 430 प्रकरणों का हुआ निराकरण

जशपुरनगर

बगीचा न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी / तालुका विधिक सेवा समिति बगीचा अध्यक्ष कामिनी वर्मा की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक किया गया। इस अवसर पर पक्षकारों के बीच समझाइश कराकर और राजीनामे के आधार पर 41 लंबित प्रकरण एवं प्री-लिटिगेशन के 389 प्रकरणों का निराकरण किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति बगीचा अध्यक्ष कामिनी वर्मा ने बताया कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर जिला जशपुर छ०ग० मन्सूर अहमद व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर जिला जशपुर (छ०ग०) के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस दौरान न्यायालय में लंबित 41 प्रकरण, बैंक के 29 प्रकरण, ट्रैफिक चालान 335 प्रकरण, आबकारी अधिनियम के कुल 25 प्रकरण इस प्रकार कुल 430 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस अवसर पर पक्षकारों से बकाया राशि बैंक द्वारा राशि 17,66,670/- रुपये की वसूली की गयी। नेशनल लोक अदालत आयोजित किए जाने से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में कमी आई।

नेशनल लोक अदालत में चेक बाउंस के प्रकरणों का निपटारा प्रस्तुत प्रकरण थाना कांसाबेल क्षेत्र के हैं जिसमें प्रार्थी द्वारा आरोपी के विरूद्ध वर्ष 2022 में 50 हजार रुपये का मामला प्रस्तुत किया गया जिसमें पक्षकारगण वर्ष 2022 से लगातार न्यायालय में उपस्थित होते रहें। इसी दौरान पीठासीन अधिकारी एवं उनके अधिवक्तागण द्वारा प्रकरण में राजीनामा की चर्चा किये जाने पर पक्षकारगण आपस में राजीनामा होकर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किया गया।

मारपीट के मामले का निराकरण एक ऐसा ही मामला थाना बगीचा क्षेत्र का है, जहां प्रार्थी और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। आरोपी द्वारा किसी बात को लेकर प्रार्थी के साथ अश्लील गाली गलौज कर मारपीट की थी, जिसके पश्चात प्रार्थी द्वारा थाना में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने पर वर्ष 2022 में मामला न्यायालय में समक्ष पहुंचा था। चूंकि पक्षकारगण एक ही गांव के होने के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा आपस में राजीनामा कराकर उनके मध्य की कटुता एवं दुश्मनी को समाप्त कर आपसी प्रेम एवं भाईचारे पूर्वक रहने की सलाह देते हुए प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किया गया। राजीनामा होने से उनके मध्य आपसी शत्रुता समाप्त होने के साथ-साथ समय, धन एवं श्रम की बचत होने की बात कही।

नेशनल लोक अदालत में आसानी से मिलता है न्याय-तालुका विधिक सेवा समिति बगीचा अध्यक्ष कामिनी वर्मा ने बताया कि लोक अदालत लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम एवं विवादों को आपसी समझौते के आधार पर सुलझाने के लिए वैकल्पिक मंच है। न्यायालय में लंबित प्रकरणों में राजीनामा के आधार पर पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार पर अधिक व्यक्ति को लाभान्वित किया जाना होता है। पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह होने से उनके मध्य आपसी सद्भाव उत्पन्न होता है व शत्रुता समाप्त होकर समय, धन एवं श्रम की भी बचत होती है तथा उनके मध्य लंबे समय से चल रहे विवाद हमेशा के लिए भी समाप्त हो जाता है। नेशनल लोक अदालत में आदेश/अवार्ड का फल पक्षकार को तत्काल मिलता है। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु पीठासीन अधिकारी, अधिवक्ता संघ बगीचा के अधिवक्तागण लोक अदालत खंडपीठ के सदस्य रामाधार गुप्ता एवं धनेश्वर यादव तथा विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित रहे एवं न्यायालयीन कर्मचारियों का भी सराहनीय सहयोग रहा।

ग्राम कर्रानारा में खरसिया पुलिस की शराब रेड कार्यवाई : 29 लीटर महुआ शराब और शराब बनाने के बर्तन जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मैहर के नेतृत्व में खरसिया पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ दो कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम कर्रानारा बरगढ़ में दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 29 लीटर महुआ शराब समेत शराब निर्माण के लिए प्रयुक्त बर्तन बरामद किए।

कार्रवाई का विवरण

सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी बबलू उरांव और अजय उरांव के घर पर छापा मारा। पूछताछ में दोनों ने अवैध शराब बनाने और बेचने की बात स्वीकार की।

आरोपी बबलू उरांव (पिता स्व. पंजाबी राम उरांव, उम्र 40 वर्ष) के कब्जे से:

- 7 लीटर महुआ शराब (कीमत रु.1400)
- शराब निर्माण में प्रयुक्त 3 एल्युमिनियम पात्र (कीमत रु.2000)

आरोपी अजय उरांव (पिता स्व. घासीराम उरांव, उम्र 25 वर्ष) के कब्जे से:

- 22 लीटर महुआ शराब (कीमत रु.4400)
- शराब निर्माण में प्रयुक्त 3 एल्युमिनियम पात्र (कीमत रु.4400)

दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना खरसिया में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की गई है।

इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक उमाशंकर धृतांत, प्रधान आरक्षक महेंद्र खरे, आरक्षक सत्यनारायण सिदार, आरक्षक योगेश साहू, आरक्षक योगेन्द्र सिंह, और महिला आरक्षक गुणवती भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस ने जनता से अपील की है कि अवैध शराब बिक्री की जानकारी होने पर तत्काल सूचना दें, ताकि इस तरह के अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

हाईवे ढाबे में जुआ खेलते 5 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

रायपुर जिले के आमानाका थाना क्षेत्र के अटारी रोड स्थित हाईवे ढाबे में जुआ खेलते हुए पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 72,400 रुपये की नकदी, ताश पत्तियां, 5 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, 1 चार पहिया वाहन और एक पिस्टल बरामद की है। इस कार्रवाई में जप्त की गई कुल संपत्ति की कीमत लगभग 7.5 लाख रुपये बताई जा रही है।

एंटी क्राइम और साइबर यूनिट तथा थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम ने दिनांक 7 मार्च 2025 को इस छापेमारी को अंजाम दिया। टीम को सूचना मिली थी कि हाईवे ढाबे के छत पर कुछ लोग ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिबंधक अधिनियम 2022 की धारा 4 और 112 बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राजा बघेल (38 साल), तेलीबांधा, यश संतवानी (18 साल), भोपाली कॉलोनी, तेलीबांधा, हरीश चंद्राकर (37 साल), गली नंबर 7, तेलीबांधा, शेख फैयाज (33 साल), तेलीबांधा कांसीराम नगर व शुभम चंद्राकर (28 साल), ग्राम बोरिद, आरंग है। आरोपियों से पुलिस ने ताशपत्तियां, 5 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, 1 चारपहिया वाहन, 1 पिस्टल जब्त किया है।

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में पुष्य नक्षत्र पर स्वर्णप्राशन किट व बाल रक्षा किट का किया जाएगा वितरण

❑ 16 वर्ष तक के बच्चों का स्वर्णप्राशन भी कराया जाएगा

रायपुर

राजधानी रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में पुष्य नक्षत्र पर 10 मार्च को स्वर्णप्राशन किट तथा बाल रक्षा किट का वितरण किया जाएगा। साथ ही शून्य से 16 वर्ष तक के बच्चों का स्वर्णप्राशन भी कराया जाएगा। पुष्य नक्षत्र पर 10 मार्च को स्वर्णप्राशन के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय पहुंचने वाले पहले 800 बच्चों को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली से प्राप्त स्वर्णप्राशन किट एवं बाल रक्षा किट वितरित किए जाएंगे। सवेरे दस बजे से साढ़े 11 बजे तक इनका वितरण किया जाएगा। इसके लिए बच्चे के आधार कार्ड के साथ माता-पिता का मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा।

आयुष विभाग की संचालक इफ्फत आरा, संयुक्त संचालक डॉ. सुनील दास तथा आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी भी बच्चों को स्वर्णप्राशन किट एवं बाल रक्षा किट वितरण के दौरान उपस्थित रहेंगे। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में हर पुष्य नक्षत्र की तरह 10 मार्च को भी सवेरे नौ बजे से दोपहर दो बजे तक शून्य से 16 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क स्वर्णप्राशन कराया जाएगा।

लाल भाजी, चुकुन्दर और पालक से बने हर्बल गुलाल : मार्केट में डिमांड ज्यादा, ग्रामीण महिलाओ ने तैयार किया बड़ा आर्डर

कोरबा | आरएनएस

होली का पावन पर्व रंगों के बिना अधूरा है. इस बार बाजार में लोग हर्बल रंग खरीदना पसंद कर रहे हैं. क्योंकि हर्बल रंगों से त्वचा और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता.बात यदि कोरबा की करें तो यहां की महिला स्वसहायता समूह ने होली के लिए खास हर्बल गुलाल तैयार किया है. जिसकी मांग बाजार में अधिक है.

महिला स्व,सहायता समूह ने तैयार किया हर्बल गुलाल :

कोरबा दोंद्रो गाव में कई स्व सहायता समूह की महिलाए है जो ख़ास तरीके से हर्बल गुलाल बना रही है, पिछली बार भी समूह की महिलाओ ने हर्बल गुलाल तैयार किया था जिसे जनता ने हाथो-हाथ लिया.इस बार पिछली बार की तरह डिमांड ज्यादा है इसलिए महिलाए पिछली बार की तुलना में अधिक मात्रा में गुलाल तैयार कर रही हैं. महिलाएं हर्बल गुलाल को तैयार करने के लिए देसी तरीका अपना रही है. इस गुलाल को बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है.उससे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं होता है.

कैसे तैयार किया जा रहा है हर्बल गुलाल :

महिलाएं हर्बल गुलाल तैयार करने के लिए अरारोट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं-जो आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाता मोगरा फूल का इस्तेमाल किया है. इसके लिए फूलों का रस निकालकर आखिरी में गुलाल में मिलाया जाता है. इसलिए ये केमिकल गुलाल से कहीं बेहतर है.

अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर आँख में मिर्ची पावडर छिड़कने वाले आरोपी को थाना सिटी कोतवाली धमतरी द्वारा किया गया गिरफ्तार

❑ आरोपी आदतन है जो अपराध करके फरार चल रहा था,जिसके विरुद्ध की जा रही है जिला बदर की तैयारी

धमतरी | आरएनएस

दिनांक 21.01.25 के शाम को प्रार्थी मोहम्मद अयाज व दोस्त अतिक कुरैशी के साथ होटल गए थे और होटल में शाम खाना खाने के बाद प्रार्थी वापस घर दानीटोला जा रहे थे कि शाम करीबन 07:45 बजे रास्ते में साहिल उर्फ मुंडन गौली निवासी रिसाईपारा धमतरी का रहनेवाला प्रार्थी व उनके भाई व दोस्त को साहिल गौली रास्ता रोककर शराब पीने के लिए पैसा मांगा प्रार्थी साहिल गौली को बोला कि मैं तुम्हे पैसा क्यु दूंगा पैसा नही है नही दूंगा कहकर प्रार्थी साहिल को पैसा नही दिया इस बात पर साहिल गौली प्रार्थी को मां बहन की अश्लील गाली गलौज देकर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का लात से मारपीट किया और आँख में मिर्ची पावडर छिडक़ कर भाग गया।

मारपीट करते समय प्रार्थी का भाई मोहम्मद अयाज और अतिक कुरैशी झगडा को देखे वे छुड़ाए हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान आरोपी का पता तलाश कर आरोपी साहिल गौली को पकडक़र पूछताछ करने पर जिन्होने जुर्म करने पर आरोपी द्वारा अपराध अपराध करना स्वीकार किया जिस पर

थाना सिटी कोतवाली
अप0क्र0:- 19/25
धारा:-126(2),296,115 (2), 351 (2), 119 (1) भा0न्या0स0 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

उक्त गिरफतार आरोपी आदतन अपराधी है,अगामी त्यौहार के मद्देनजर तत्काल जेल भेजा गया है।

नाम आरोपी - साहिल गौली उर्फ मुण्डुल पिता कृपाल गौली उम्र 18 साल 11 माह सा0 रिसाईपारा वार्ड पूर्व थाना सिटी कोतवाली धमतरी,जिला धमतरी(छ.ग.)

उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली से प्रआर.हरिशंकर सिन्हा, आरक्षक सुरेंद्र डडसेना, महेश्वर ध्रुव का विशेष योगदान था।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

सनसनीखेज हत्या के मामले का खुलासा : कल्कि अवतार के नाम से गाँव में दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में शक के चलते हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा

कोरबा | आरएनएस

दिनांक 23-24 फरवरी की दरमियानी रात को ग्राम पकरिया नवापारा मे रामसिंह कंवर उम्र 60 वर्ष की किसी अज्ञात ने धारदार हथियार से सिर पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया जिसकी अगले दिन अस्पताल मे मृत्यु हो गई थी। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत घटना स्थल पहुंच कर क्राइम सीन को सुरक्षित कर स्नसु टीम को बुलाकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही घटना स्थल के आस पास ही 3 अलग- अलग जगहों पर राम सिंह के बेटे जगदीश का नाम, कलयुग के कल्कि, झूठ बोलना पाप है" आदि लिखा हुआ दिखाई दिया। फिर दो दिन बाद 26 फरवरी को सुबह घटना स्थल के सामने के घर की दीवार पर अगला टारगेट "मोनू, कलयुग के कल्कि, शराब बंद, पकरिया में 5 हत्या और होने वाली है, पुलिस को आरोपी की खोजबीन से दूर रहने की धमकी लिखी हुई दिखाई दी। इसके बाद आस पास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पूरे गांव में दहशत का माहौल हो गया। इस पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का, साइबर प्रभारी रविन्द्र कुमार मीना एवं थाना प्रभारी युवराज तिवारी के नेतृत्व मे पुलिस ने पकरिया नवापारा गांव मे 24&7 लगातार कैंप किया। चूंकि दीवार पर मृतक के बेटे जगदीश का नाम लिखा था। तो पुलिस ने जगदीश को केंद्र मे रखकर प्रत्येक एंगल पर काम करना शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने साइबर प्रभारी रविन्द्र कुमार मीना एवं नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का के नेतृत्व मे 26 सदस्यीय टीम गठित कर हर दृष्टि से विवेचना प्रारम्भ कराई। जिसमे एक टीम जमीन संबंधी विवाद पर, एक टीम अवैध संबंधो पर, एक टीम चुनावी रंजिश पर, एक टीम कलयुग के कल्कि, तथा एक टीम 4 मार्च को सुबह पुलिस को गांव स्थित शमशान घाट में एक तलवारनुमा हथियार के साथ एक पत्र मिला, जिस पर काम कर रही थी।

मामले की बढ़ती गंभीरता को देखते हुए विवेचना को बारीकी से मॉनीटर करने के लिए स्वयं पुलिस अधीक्षक ने उरगा थाना मे कैंप किया।

इस प्रकार हर दृष्टि से विवेचना करने पर पता चला कि मृतक के पुत्र जगदीश का गांव की ही एक महिला से अवैध सम्बन्ध था इसी ही महिला का आरोपी के साथ भी अवैध सम्बन्ध था। इस बात का पता जब आरोपी को चला तो उसने जगदीश को मारने की योजना बनाई। इसके लिए लगभग दो माह पूर्व उसने लोहे का एक धारदार तलवारनुमा हथियार बनाया। जिस हथियार को लेकर वह घटना दिनांक को जगदीश को मारने के उद्देश्य से मृतक के घर आया। लेकिन जगदीश के नहीं मिलने पर उसने मंच पर सोए उसके पिता पर उस धारदार हथियार से सिर पर हमला किया। और दीवार पर जगदीश के लिए चेतावनी लिखी।